संख्या-21/2016/1423/33-3-2016-100(11)/2014टीसी

प्रेषक,

एस0पी0 सिंह
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 01 जून 2016

विषय- वित्तीय वर्ष 2016-17 में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग टाइल्स निर्माण हेतु अनुदान संख्या-83 (अनुसूचित जाति सबप्लान) के अन्तर्गत धनराशि आवंटित किए जानें के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 5/1684/2016-5/99/2016 दिनांक 24 मई 2016 के संदर्भ में समग्र ग्राम विकास विभाग के शासनादेश संख्या-447/66-2012-05/2012, दिनांक 17-05-2012 एवं डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत आंतरिक गलियों एवं नालियों के निर्माण के संबंध में में पंचायती राज अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 1266/33-2-2012-4आर0डी0/12, दिनांक 13 जून, 2012में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबंध एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च 2016 में दिये गये दिशा-निर्देशों क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या- 83 के अन्तर्गत 2016-17 उक्त योजना के लिए प्रावधानित रू0 15000.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 4450.00 (रू0 चौवालीस करोड़ पचास लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन जनपदवार संलग्न फॉट के अनुसार श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग समाज कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा । इतर वयय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

(3) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2016-17 की अवधि में कार्यदायी विभागों द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/ उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के संबंध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च 2016 एवं डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास विभाग द्वारा इस संबंध में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कडाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) उपरोक्तानुसार अवमुक्त धनराशि संबधित जिला पंचायत राज अधिकारियों को आवंटित की जायेगी, जो इस आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायेंगे। संबधित कार्यदायी संस्था इस धनराशि को डिपाजिट खाते में जमा कर उसका डी.सी.एल. पद्धति से व्यय करेंगे। अधिष्ठान व्यय की धनराशि को परियोजना पर डेबिट करके लोक निर्माण विभाग द्वारा लेखा शीर्ष " 1054'सडक तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियों -01-प्रतिशतता प्रभारों की वसूली एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग के प्राप्ति लेखा शीर्षक" 0515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्म -800-अन्य प्राप्तियों -02-प्रतिशतता प्रभारी की वसूली " में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0 द्वारा उपलब्ध कराये गये जनपदवार फॉट के कालम संख्या- 10 में अंकित धनराशि रू 8.288 लाख निदेशक, पंचायती राज कार्यालय स्तर पर आहरित की जायेगी, अवशेष धनराशि जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा आहरित कर संबंधित फॉट में इंगित स्तर पर उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) उपरोक्त के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीक़ृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(6) उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के "लेखाशीर्षक 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-789-अनुसूचित जातियों के लिव विशेष घटक योजना-05- समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन तथा इण्टर लाकिंग टाइल्स की व्यवस्था- 24-बृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

(7) स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का व्यय योजना आयोग भारत सरकार /राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिए निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन के निर्माण के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशानुसार ही प्रश्नगत धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) शासकीय व्यय में मितब्यतता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितब्यतता के संबंध में

वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या- सीए-934/दस-2008-मित-1/2007 दिनांक 2-9-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(10 निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आंवटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(11) जनपद स्तर पर निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में से निर्माण कार्य हेतु 02-02 माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि नोडल अधिकारी/जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करनें के उपरान्त कार्य एवं गुणवत्ता से संतुष्ट होते हुए अगले 02 माह के लिए धनराशि नोडल अधिकारी/ जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।

(12) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल एवं वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीक़ृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य कर ली जाय।

(13) उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर निदेशक,पंचायती राज स्वयं इसके लिए उत्तरदायी होंगे। साथ ही साथ जनपदवार फॉट के सही होने का दायित्व भी निदेशक, पंचायती राज का होगा।

2- यह ओदश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च 2016 में प्राप्त अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(एस0पी0सिंह)
उप सचिव

<u>संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग/वित्त विभाग/लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग,उ0प्0शासन।
3- निदेशक एवं मुख्य मुख्य अभियन्ता,ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0, लखनऊ।
4- समस्त जिलाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ//कलेक्ट्रेट लखनऊ।
6- समस्त मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत ,लखनऊ।
8- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2
9- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0सिंह)
उप सचिव।

पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0।

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 हेतु चयनित ग्रामों में सी0सी0 रोड के साथ नाली या के0सी0 ड्रेन निर्माण हेतु आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि

अनुदान संख्या-83 (एस0सी0पी0) (धनराशि लाख में)

क्र. स.	जनपद का नाम	जिन ग्रामों को धनराशि दी जानी है उनकी संख्या	कार्यदायी संस्था/ जिलाधिकारी द्वारा dk; ;ktuk मे अनुदान संख्या-83 के अनुसार कुल मांग	;ktukn् तर्गत अनुदान संख्या-83 मे जनपद को dy आवंटित धनराशि	शेष आवश्यकता	आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि			कालम संख्या-7 के सापेक्ष कार्यालय व्यय/कन्टीजेन्सी हेतु 02 प्रतिशत धनराशि का फॉट							सी0सी0 रोड एवं के0सी0ड्रेन हेतु वास्तविक प्रस्तावित धनराशि (7-16)
						सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन का निर्माण (कार्यान्श) 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी सहित	अधिष्ठान अंश 6.875 प्रतिशत की धनराशि	कुल योग	पंचायती राज निदेशालय स्तर पर (0.20 प्रतिशत)	आर.ई.एस. हेतु जनपद स्तर पर (1.50 प्रतिशत)	मण्डलीय उपनिदेशक (पं0) स्तर पर (0.10 प्रतिशत)	जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय स्तर पर (0.10 प्रतिशत)	सहायक विकास अधिकारी कार्यालय स्तर पर (0.10 प्रतिशत)	कालम संख्या 11+12+13+14 का योग	कुल योग (कालम 10+15)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	अमेठी	13	310.000	0.000	310.000	288.688	21.312	310.000	0.577	4.330	0.289	0.289	0.289	5.197	5.774	282.914
2	चित्रकूट	7	150.000	0.000	150.000	139.688	10.312	150.000	0.279	2.095	0.140	0.140	0.140	2.515	2.794	136.894
3	बागपत	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
4	बांदा	9	240.000	0.000	240.000	223.500	16.500	240.000	0.447	3.353	0.224	0.224	0.224	4.025	4.472	219.028
5	बस्ती	3	70.000	0.000	70.000	65.188	4.812	70.000	0.130	0.978	0.065	0.065	0.065	1.173	1.303	63.885
6	गोरखपुर	10	300.000	0.000	300.000	279.375	20.625	300.000	0.559	4.191	0.279	0.279	0.279	5.028	5.587	273.788

7	महराजगंज	3	80.000	0.000	80.000	74.500	5.500	80.000	0.149	1.118	0.075	0.075	0.075	1.343	1.492	73.008
8	हापुड़	4	130.000	0.000	130.000	121.062	8.938	130.000	0.242	1.816	0.121	0.121	0.121	2.179	2.421	118.641
9	औरैया	11	270.000	0.000	270.000	251.438	18.562	270.000	0.503	3.772	0.251	0.251	0.251	4.525	5.028	246.410
10	रामपुर	2	50.000	0.000	50.000	46.562	3.438	50.000	0.093	0.698	0.047	0.047	0.047	0.839	0.932	45.630
11	इलाहाबाद	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
12	शामली	1	30.000	0.000	30.000	27.937	2.063	30.000	0.056	0.419	0.028	0.028	0.028	0.503	0.559	27.378
13	मेरठ	9	210.000	0.000	210.000	195.562	14.438	210.000	0.391	2.933	0.196	0.196	0.196	3.521	3.912	191.650
14	कानपुर देहात	12	290.000	0.000	290.000	270.062	19.938	290.000	0.540	4.051	0.270	0.270	0.270	4.861	5.401	264.661
15	मऊ	3	90.000	0.000	90.000	83.812	6.188	90.000	0.168	1.257	0.084	0.084	0.084	1.509	1.677	82.135
16	खीरी	20	490.000	0.000	490.000	456.312	33.688	490.000	0.913	6.845	0.456	0.456	0.456	8.213	9.126	447.186
17	अम्बेडकरनगर	11	250.000	0.000	250.000	232.812	17.188	250.000	0.466	3.492	0.233	0.233	0.233	4.191	4.657	228.155
18	हमीरपुर	4	110.000	0.000	110.000	102.438	7.562	110.000	0.205	1.537	0.102	0.102	0.102	1.843	2.048	100.390
19	बलरामपुर	20	470.000	0.000	470.000	437.688	32.312	470.000	0.875	6.565	0.438	0.438	0.438	7.879	8.754	428.934
20	मुजफ्फरनगर	8	230.000	0.000	230.000	214.188	15.812	230.000	0.428	3.213	0.214	0.214	0.214	3.855	4.283	209.905
21	सहारनपुर	9	260.000	0.000	260.000	242.125	17.875	260.000	0.484	3.632	0.242	0.242	0.242	4.358	4.842	237.283
22	सन्तकबीरनगर	5	100.000	0.000	100.000	93.125	6.875	100.000	0.186	1.397	0.093	0.093	0.093	1.676	1.862	91.263

23	गौतमबुद्धनगर	2	60.000	0.000	60.000	55.875	4.125	60.000	0.112	0.838	0.056	0.056	0.056	1.006	1.118	54.757
24	बिजनौर	11	220.000	0.000	220.000	204.875	15.125	220.000	0.410	3.073	0.205	0.205	0.205	3.688	4.098	200.777
25	अमरोहा	2	40.000	0.000	40.000	37.250	2.750	40.000	0.075	0.558	0.036	0.036	0.036	0.666	0.741	36.509
कुल		**179**	**4450.000**	**0.000**	**4450.000**	**4144.062**	**305.938**	**4450.000**	**8.288**	**62.161**	**4.144**	**4.144**	**4.144**	**74.593**	**82.881**	**4061.181**

(रुपया चैवालीस करोड़ पचास लाख मात्र)

नोटः कालम संख्या-10 की धनराशि निदेशक, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 तथा कालम संख्या- 8, 15 व 17 में इंगित धनराशि जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारी/ आहरण वितरण अधिकारी द्वारा आहरित कर सम्बन्धित को उपलब्ध करायी जायेगी।